

नगरीय निकाय निदेशालय

"OM&M Cell" (Operation, Maintenance and Management Cell)**प्लॉट नं०-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।**

पत्र संख्या- 22/02

/OM&M / 2020-21

दिनांक 20 मई, 2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 15.05.2020 का कार्यवृत्त।

विषय:- उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4, Lucknow, Package- 6, Agra)

संदर्भ:- 1. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

2. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार है:-

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में उक्त समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/ उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

2. बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया (संलग्नक-2) एवं वांछित निर्णय लिये गये।

3. नगर विकास विभाग के शासनादेश सं०-5483/नौ-5-2017-447सा/2017 दिनांक 12.02.2018 के अनुपालन में लखनऊ नगर के समस्त एस0टी0पी0 व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालीन संचालन, रख-रखाव एवं प्रबन्धन का कार्य वन सिटी वन ऑपरेटर के सिद्धान्त पर मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, हरियाणा को अर्वाइ एवं अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, हरियाणा द्वारा अनुबंध सं०-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 4, Lucknow के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2019 से लखनऊ शहर के 3 एस.टी.पी., 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 2140 कि.मी. सीवर नेटवर्क के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार माह फरवरी, 2020 में 345 एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा पर 345 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 238 एम०एल०डी०, 42 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 42 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 64 एम०एल०डी० एवं 14 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 14 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 15.63 एम०एल०डी० सीवेज तथा माह मार्च-2020 में 345 एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा पर 345 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 288 एम०एल०डी०, 42 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 42 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 62 एम०एल०डी० एवं 14 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 14 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 15 एम०एल०डी० सीवेज का शोधन डिजाइन पैरामीटर के अनुरूप किया गया है। माह फरवरी, 2020 एवं माह मार्च, 2020 में फर्म द्वारा एस.टी.पी., इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सीवर नेटवर्क के इम्प्रूवमेन्ट का

विवरण तथा कस्टमर केयर में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया गया। मेसर्स जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा प्रयाप्त मरम्मत एवं एक्चूपमेन्ट एवं मेन पावर सीवर नेटवर्क के सफाई हेतु डिप्लाय किये गये हैं तथा पब्लिक शिकायत निस्तारण भी किया जा रहा है। सीवर नेटवर्क संबंधित कार्य में सुधार हो रहा है। महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीया, कुकरैल एवं जी0एस0 कैनाल पम्पिंग स्टेशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे ओवरफ्लो को रोका जा सके।

4. मेसर्स बी0ए0टेक वाबग लिमिटेड, चेन्नई द्वारा अनुबंध सं0-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 6, A&S के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से आगरा शहर के लिए 7 एस.टी.पी., 28 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 8 कि.मी. सीवर नेटवर्क के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। कोविट-19 के कारण आगरा जल निगम एवं फर्म के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। महाप्रबन्धक, जल निगम, आगरा द्वारा प्रेसिडेंट फरवरी, 2020 एवं मार्च 2020 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का संज्ञान बैठक में लिया गया।
5. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ एवं आगरा जोन के एस0टी0पी0 से एकत्रित किये गये सैम्पल की टेस्ट रिपोर्ट मेल द्वारा मुख्य अभियन्ता, OM&M Cell, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है।
6. सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुबंध के Volume-1, Section-V, Clause 5.5.1 के अन्तर्गत Treated effluent quality (KPIs) में Mandatory पैरामीटर के सम्बन्ध में अवगत कराया। अनुबंध के Volume-1, Section-IV, Clause 39 में फर्म द्वारा संपादित कार्य के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप न पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, फर्म द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल से कटौती किया जाना उचित होगा। शासनादेश दि0 03.03.2020 के पैरा-6 में निहित प्राविधान के तहत फर्म द्वारा प्रेषित लैब रिपोर्ट, थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट एवं पी.सी.बी. की लैब रिपोर्ट के आधार पर उ0प्र0 जल निगम को प्रमाणित बिल के सापेक्ष धनराशि निर्गत की जानी है।
7. उ0प्र0 जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का 10 प्रतिशत सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0 लि0 को निर्देशित दिया गया है कि नगरिया पम्पिंग स्टेशन की ओवरफ्लो को अभी तक रोका नहीं गया है अतः 31 मई, 2020 तक आवश्यक कार्यवाही करते हुये ओवरफ्लो को पूर्ण रूप से रोका जाये। आवश्यक चैनल इत्यादि का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाये। दिनांक 01.06.2020 को प्रमुख सचिव महोदय के साथ नगरिया पम्पिंग स्टेशन एवं दौलतगंज एस0टी0पी0 का निरीक्षण किया जायेगा। कुकरैल एवं जी0एस0 कैनाल के पम्पिंग स्टेशन के समस्त पम्पस की मरम्मत पूर्ण कराई जाये एवं रिप्लेस होने वाले पम्प को तत्काल रिप्लेस करते हुये नये पम्प लगाये जाये। एस0टी0पी0 के सिस्टम इम्प्रूमेन्ट हेतु मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा तत्काल एक्सपर्ट/साइंटिस्ट नियुक्त किया जाये जो सिस्टम इम्प्रूमेन्ट के क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही कर सके। वर्क प्रोग्राम के अनुसार समस्त कार्यों के टारगेट एचीवमेन्ट की मनीटरिंग फील्ड यूनिट स्तर पर की जाये।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक मेसर्स, सुएज इण्डिया प्रा0 लि0/महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ)

9. समिति की संस्तुति/निर्णय :-

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन, एवं पैकेज-6, आगरा के माह फरवरी, 2020 एवं मार्च, 2020 के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल एवं फर्म की Laboratory की प्रत्येक दिन की टेस्ट रिपोर्ट, एन. ए.बी.एल. एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार धनराशि उ0प्र0 जल निगम को शासन/निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

- (ii) उ०प्र० जल निगम को पैकेज-4, लखनऊ जोन (मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-3)
- (अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	4 th Payment Certificate/ Bill- फरवरी, 2020	7,23,55,021.00 (फर्म को भुगतान रु० 6,46,02,697.00+ जीएसटी रु० 7752324.00)	अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	5 th Payment Certificate/ Bill मार्च, 2020	7,27,14,297.00 (फर्म को भुगतान रु० 6,49,23,479+ जीएसटी रु० 7790818)	

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.सं.	विवरण	माह फरवरी, 2020 धनराशि (रु०)	माह मार्च 2020 धनराशि (रु०)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु० 63288752/-	रु० 64251326/-
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु० 7594650/-	रु० 7710159/-
3.	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	रु० 00.00/-	रु० 00.00/-
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	रु० 6328875/-	रु० 6425133/-
5.	कुल धनराशि	रु० 77212277/-	रु० 78386618/-
6.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त धनराशि	155598895/-	

- (iii) (क) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-4, आगरा जोन (मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-4)

(अ) उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि-

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	3 rd Payment Certificate/ Bill- फरवरी, 2020	38063921.50 (फर्म को भुगतान रु० 33889020+ Diesel हेतु Rs.108218.00 + जीएसटी रु० 4066682.50)	अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	4 th Payment Certificate/ Bill मार्च, 2020	3,22,39,654.99 (फर्म को भुगतान रु० 28785406.24+ जीएसटी रु० 3454248.75)	

For

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संस्तुति की गयी धनराशि-

क्र.स.	विवरण	माह फरवरी, 2020 धनराशि (रु0)	माह मार्च 2020 धनराशि (रु0)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु0 25416765/-	रु0 21589055/-
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु0 3050012/-	रु0 2590687/-
3.	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	रु0 108218/-	रु0 0.00/-
4.	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	रु0 2541677/-	रु0 2158905/-
5.	कुल धनराशि	रु0 31116672/-	रु0 26338647/-
6.	उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त धनराशि	57455319/-	

अनुबन्ध के सेक्शन-IV Clause 6.6 के तहत उपरोक्तानुसार प्रेषित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की 75 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त किया जा सकता है। महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल में Penalty/Liquidity damage प्रस्तावित की गयी है। जिन्हें अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार Penalty/Liquidity damage के प्रविधान Minimum & Maximum Limit के अनुसार पुनः अपने स्तर पर Review करते हुये फाइनल पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल पुनः नगरीय निकाय निदेशालय को प्रेषित करें।

अतः उक्त पैरा (i) एवं पैरा- (ii) में उल्लेखित कुल धनराशि रु0 213054215/- (रु0 155598895+ रु0 57455319) उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जानी है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।

(iii) गत बैठक दिनांक 16.03.2020 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0-IV (4) में लिये गये निणय के अनुपालन में, अवगत कराया गया है कि OM&M Cell का अलग से कोई Budget का प्राविधान नहीं है। अतः OM&M Cell के संचालन हेतु कुल धनराशि रु0 27.60 लाख प्रति वर्ष (i. Contingencies - Rs. 20000.00 per month+ ii. Logistic support, Hiring of 2 nos Vehicle & Travel Exp. - Rs. 100000.00 per month+ engagement of 2 No Computer Operator from outsourcing -Rs. 30000.00 & 1 No Sewerage specialist from outsourcing- Rs. 80000.00) एवं 3 No. Desktop Computer, Printer & No. Laptop Purchase (One Time)-Rs. 250000.00 की स्वीकृत वांछित है।

उक्त के क्रम में निदेशालय में गठित OM&M Cell के संचालन के बजट हेतु सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किया जाये। शासन द्वारा निर्णय लिये जाने तक नगरीय निकाय निदेशालय के ओ0एम0एण्डएम0 सेल हेतु वाहन की व्यवस्था का व्यय उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा अन्तरिम तौर पर किया जायेगा।

(IV) अन्य बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. Signing of Supplementary Agreement for the all 4 Nos of Contract agreement of Lucknow, Agra, Ghaziabad & Gorakhpur Zone-

OM&M कार्य हेतु अनुबन्ध परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ एवं संबंधित नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी एवं संबंधित फर्म/कान्ट्रेक्टर के साथ सम्पादित किया गया था। शासनादेश संख्या-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा कतिपय लिये गये निर्णय के अनुसार एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ का प्रशासनिक नियंत्रण नमामि गंगें एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में होने के कारण विधिक दृष्टि से सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

अतः निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ द्वारा फर्मों के साथ सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

2. Opening of ESCROW Account as per clause 2.8 ITB Section-II, of Contract Agreement as proposed the firm in bank for deposition of major replacement of Rs. 7.00 Crore- (M/s V.A. Tech Wabag has proposed Union Bank of India, Mumbai for Ghaziabad, Package-8 & Agra, Package-6 & M/s SUEZ India Pvt. Ltd has proposed HDFC, Lucknow for Lucknow, Package-4) -


निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ द्वारा फर्मों के प्रस्ताव के अनुसार, अनुबन्ध की शर्तों के तहत ESCROW Account बैंक में खोल लिये जाये किन्तु ESCROW Account खोले जाने वाली बैंक की लखनऊ ब्रान्च होनी चाहिये।

3. Decision regarding deployment of Trash Skimmer in Gomti River.

निर्देशानुसार, Trash Skimmer गोमती नदी में मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा विगत 5 माह से फ्लोटिंग मटेरियल एवं जल-कुम्भी हटाने हेतु रेन्ट पर लगाया गया है जो कि मेंहदीघाट क्षेत्र के पास गोमती नदी में चलाया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग रू0 8.00 लाख प्रतिमाह का व्यय Trash Skimmer संचालन पर हो रहा है। यह संज्ञान में आया कि नगर निगम द्वारा भी सी0एस0आर फण्ड से गोमती नदी में एक Trash Skimmer लगाया गया है।


अतः नगर आयुक्त, लखनऊ से Trash Skimmer लागत एवं आपरेशनल चार्ज की जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये।

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा रू0 250 करोड़ प्रतिवर्ष एस. टी.पी. के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि रू0 213054215/ (इक्कीस करोड़ तीस लाख चौवन हज़ार दो सौ पन्द्रह मात्र) अवमुक्त की जानी है। यह कार्यवृत्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदन दिनांक 19.05.2020 के क्रम में जारी किया गया है।


(डा0 कांजल)
निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय
6/8

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्डएम0 सेल, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।


(आर0के0 चौधरी)
मुख्य अभियन्ता,
नगरीय निकाय निदेशालय
6/8